

# कार्यालय-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या 02,

## बून्दी (राज0)

क्रमांक / स्था0 / 2018 / 36

दिनांक : 20 जून, 2018

### विज्ञप्ति

नवसृजित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या 02, बून्दी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के वर्तमान में रिक्त चल रहे छः अस्थाई पदों पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि में 02 वर्ष तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समेकित वेतन पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दी गई शर्तों व नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। जिनका वर्गानुसार विवरण इस प्रकार है :-

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या								योग
	सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	06
	04	01	-	-	-	-	01	-	

महिलाओं व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा परन्तु नियुक्ति हेतु कोई योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियां संबंधित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी। ये रिक्तियां पूर्णतया अस्थाई हैं। इनकी संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दो वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही कार्यकाल आगे बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा।

#### (1) आयु :-

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, महिला व अ.पि.व. आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। इस हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी, इसके लिए विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा परित्यक्ता महिला को विवाह-विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

#### (2) शैक्षणिक योग्यता :-

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का पढ़ने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिये।

#### (3) शारीरिक योग्यता :-

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण :- नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि संबंधी सभी नये नियम लागू होंगे।



(5) राष्ट्रीयता :-

आवेदक भारत का नागरिक हो, या नेपाल या भूटान का प्रजानन हो अथवा नियमों के नियम-11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

(6) पात्रता एवं चरित्र :-

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो एवं 06 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(7) आवेदन की अंतिम तिथि :-

आवेदन पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2018 को सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

(8) दहेज एवं संतान संबंधी सूचना :-

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 10 (3) कार्मिक/क-2/75 पार्ट-11 दिनांक 27.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या सामान्य/19/मिस./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.2004 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 या उसके पश्चात दो या अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरुष इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप में प्रार्थना पत्र के साथ करें कि उनके दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

घोषणा पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री..... निवासी  
.....यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे  
दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई मेरे कुल .....संताने हैं जिनके नाम व  
जन्म तिथि 01..... 02 ..... है तथा विवाह के समय दहेज  
स्वीकार नहीं किया है।

(9) नियुक्ति के निरर्हता :-

- 1 कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे देवे।
- 2 कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :-

इन नियमों के अधीन "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20) में दिया हुआ है।

  
20/6/18

(10) विवाह पंजीयन :-

राज्य सरकार के परिपत्र सं.पं. 7 कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में विवाहित होने की दशा में पति-पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन सूचना अनिवार्यतः अंकित की जावेगी। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने तथा आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ संलग्न - 6 प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा, जो विधिवत सत्यापित हो।

<b>प्रारूप - 6</b>	
<b>शपथ पत्र</b>	
(10 रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीक किया हुआ)	
मैं .....	
पुत्र/पुत्री/श्रीमती/.....	
निवासी .....	
.....शपथपूर्वक बयान करता	
हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री .....	
..... निवासी	
..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु	
अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक .....	
को सम्पन्न होने के कारण	
पंजीकृत नहीं है।	
<b>या</b>	
मेरा विवाह श्रीमती/श्री .....	
..... निवासी	
..... के साथ दिनांक .....	
को	
राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।	
<b>या</b>	
मैं .....अविवाहित हूँ। विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं	
करूंगा/करुंगी।	
<b>या</b>	
मैं ..... विधुर/तलाकशुदा/विधवा/हूँ।	

(11) दोषसिद्ध न होने बाबत :-

प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लंबित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में अंकित करेगा।

<b>शपथ-पत्र</b>	
मैं.....श्री/सुश्री/श्रीमती.....	
पुत्र/पुत्री/श्रीमती.....	
निवासी.....शपथपूर्वक बयान करता/करती	
हूँ कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी दाण्डिक प्रकरण लंबित या संस्थित नहीं है	
एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है।	

(12) आवेदन पत्र :-

**आवेदन प्रक्रिया** :- इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (टाईपराईटर/कम्प्यूटर पर टंकित अथवा फोटोप्रति) में समस्त वांछित सुसंगत सूचनाएं भरकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग का नाम उल्लेख हो। आवेदन पत्र में स्वयं का रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लगा होना चाहिये। आवेदक कहीं सेवारत हो तो



उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अग्रलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होंगी :-

- 1 शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियां।
- 2 जन्मतिथि के प्रमाण पत्र की प्रति।
- 3 आयु में छूट चाहने संबंधी प्रमाण पत्र।
- 4 दोषसिद्ध न होने बाबत शपथ पत्र
- 5 दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हो अथवा आवेदक के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय से संबद्ध नहीं हो। ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 06 माह की अवधि के पहले के नहीं होने चाहिये। (दोनों प्रमाण पत्र मूल संलग्न करें।)
- 6 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर शपथ पत्र (मूल)
- 7 आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित आवेदक का पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो लगावें।
- 8 राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति संलग्न करें।
- 9 पांच-पांच रुपये के डाक-टिकट लगे हुये आवेदक के स्वयं का पता लिखे हुये 02 लिफाफे।
- 10 आवेदक के आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र की फोटो प्रति।

(13) साक्षात्कार की दिनांक :-

पूर्ण एवं सही आवेदन वाले साक्षात्कार योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय के सूचना पट्ट पर दिनांक 18.07.2018 को लगा दी जावेगी। इसी दिन साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित कर दी जावेगी। साक्षात्कार 29.07.2018 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होंगे, जो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आगामी दिवसों में भी लिये जा सकेंगे, जिसके संबंध में सूचना न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। साक्षात्कार की तिथियों के संबंध में पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी। समस्त अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।


साक्षात्कार की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना भी कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जावेगी, जिसकी भी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी। साक्षात्कार का परिणाम साक्षात्कार पूर्ण होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में घोषित किया जाकर कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दिया जावेगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा-भत्ता इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा। समस्त अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

(14) अन्य :-

- (01) आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।
- (02) आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
- (03) कोई भी पुरुष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
- (04) ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
- (05) ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी किया गया है, वो इस पद की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।



- 06) उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई है।  
07) उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।

  
न्यायाधीश, 20/6/18

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,  
क्रम संख्या 02, बून्दी (राज0)

क्रमांक / स्था0 / 2018 / 01

दिनांक: 20 जून, 2018.

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान उपशासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी।
4. जिला कलक्टर, बून्दी
5. पुलिस अधीक्षक, बून्दी
6. जन सम्पर्क अधिकारी, बून्दी को दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
8. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
9. संबंधित पत्रावली

  
न्यायाधीश, 20/6/18

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,  
क्रम संख्या 02, बून्दी (राज0)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रारूप

सेवा में,

श्रीमान् न्यायाधीश,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सं.-02

बून्दी (राज.)

आवेदक का पासपोर्ट

साईज रंगीन फोटो

मय हस्ताक्षर

01 आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

(अंग्रेजी में) .....

02 पिता का नाम .....

03 माता का नाम .....

04 राष्ट्रीयता .....

05 शैक्षणिक योग्यता .....

06 जन्म तिथि (अंको में) : - -

(शब्दों में) .....

07 दिनांक 01.01.2019 को आयु .....वर्ष.....माह.....दिन

08 क्या अभ्यर्थी अजा/अजजा, .....

अ.पि.व. का सदस्य है ? .....

विकलांग, विधवा या परित्यक्ता है ? .....

09 विवाहित/अविवाहित .....

(विवाहित होने की स्थिति में विवाह की दिनांक भी अंकित करें) .....

संतान की संख्या .....

10 पति/पत्नी का नाम .....

  
20/6/18

- 11 स्थाई निवास का पता .....
- .....
- 12 वर्तमान निवास का पता .....
- .....
- 13 निकटतम पुलिस स्टेशन .....
- 14 मोबाईल/दूरभाष नं. ....
- 15 वर्तमान नियुक्ति, यदि कोई हो, .....
- पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम .....
- 16 अग्रगण्य अधिकारी का नाम, .....
- पदनाम (यदि आवेदक पूर्व में सेवारत है) .....
- 17 अन्य योग्यता/अनुभव (यदि हो) .....

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं .....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में

अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक स्वयं अपने हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार अंकित कर अन्त में हस्ताक्षर करें।

